


उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायलान/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।


-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायलान/वादीगण अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




 सहायक काश्तकार (फास्ट ट्रेक)
 जैतारण, जिला-ब्यावर
 जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


 सहायक काश्तकार (फास्ट ट्रेक)
 जैतारण, जिला-ब्यावर
 (फास्ट ट्रेक), जैतारण
 जिला-ब्यावर (राज0)